न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बुलन्दशहर

वाद संख्या-08 सन-2011 अन्तर्गत धारा- 143 उ0प्र0ज0वि0एवं भू-व्य0अधि0

महाराजा अग्रसेन एजुकेशन ट्रस्ट बनाम राकेशकुमार आदि

ग्राम अहमद पुर परगना बरन तहसील व जिला बुलन्दशहर

::निर्णय::

उक्त वाद विशाल अग्रवाल पुत्र कैलाशचन्द व सौरभ गर्ग पुत्र राकेश कुमार गर्ग द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम अहमदपुर के खाता संख्या- 62 गाटा सं0 142 क्षे0 1.1590 है0 में सहखातेदार है। जिसमें से 1.012है भूमि के वादी गण मालिक है जिस पर महाराजा अग्रसेन एजुकेशनल ट्रस्ट की स्थापना की है जिसकी ट्रस्टी वादीगण है।प्रश्नगत भूमि में संस्था चल रही है। भूमि आबादी हेतु प्रयोग में आ रही है अत: प्रश्नगत भूमि को आबादी घोषित किया जाये।उक्त प्रार्थना पत्र वाद की जांच तहसीलदार सदर बुलन्दशहर द्वारा कराई गई।तहसीलदार सदर बुलन्दशहर ने अपनी आख्या दिनांक 26-4-2011 में अंकित किया है कि ग्राम अहमदपुर परगना बरन तहसील व जिला बुलन्दशहर स्थित खाता संख्या 62 गाटा संख्या- 142 क्षे0 1.159 है0 लगानी 50.80 के भाग 0.886 है0 लगानी भूमि 38.85 पैसा भूमि पर खेती कार्य नहीं हो रहा है।और न ही कुक्कुटपालन, मत्स्य पालन भी नहीं हो रहा है।शेष हिस्से पर बाग है।अत: प्रश्नगत भूमि गाटा सं0 142 क्षे0 1.159 है0 में से 0.886 है0 को अकृषिक घोषित किया जाये।

तहसील आख्या प्राप्त होने पर मेरे द्वारा स्वंय स्थल का निरीक्षण किया गया।गाटा संख्या 142 क्षे0 0.886 है0 पर महाराजा अग्रसेन एजुकेशन ट्रस्ट का भवन बना हुआ है शेष हिस्से पर बाग है।अत: उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि क्षे0 0.886 है0 पर आबादी बने होने के कारण अकृषिक भूमि घोषित किया जाना न्यायोचित है।

::आदेश::

ग्राम अहमदपुर परगना बरन तहसील व जिला बुलन्दशहर स्थित खाता संख्या 62 गाटा संख्या 142 क्षे0 1.159 है0 भूमि में से 0.886 है0 लगानी 38.85 पैसा को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है।तदानुसार राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद हेतु तहसीलदार सदर बुलन्दशहर व उपनिबन्धक बुलन्दशहर को परवाना अमलदरामद जारी हो।पत्रावली बाद अनुपालन राजस्व अभिलेखागार में संचित हो।

दिनांक 09/5/11

(विजयपाल सिंह) 09/5/11
उपजिलाधिकारी
सदर बुलन्दशहर।